

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कोटकासिम
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प.....मी.र.पु.ल.

पीठासीन अधिकारी:- बलवन्तसिंह लिग्री, आरएएस

उनवान

.....दमेकी..... बनाम.....सरकाल.....

दावा बाबत.....इ.स.क. (र.ह.क. दु.ग.सी) इ.स.31.0, प/स 88-89 र.त.क. 1955

मुकदमा नम्बर :- 28/11-2-16

निर्णय दिनांक:- 28-05-2016

वादी की ओर से.....दादी व श्रीम..... की व प्रतिवादी की ओर से.....सरकाल..... की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख..... को बलवन्तसिंह लिग्री, आरएएस, उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम(अलवर) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:-

.....वादी का राजस्व रिजर्व (प. नं. 236, 251, 371) वाले प्लॉट प्रो. पु. ल. में से सुपलीदेवी
कल्पन कन किशु जाकल दमेकी देवी एवं किशु देवी के अतिरिक्त किशु देवी को पानना
की वारिस पत्रा. न. 236 से कन देवी के अतिरिक्त किशु देवी का राजस्व रिजर्व (प. नं. 236,
251, 371) के अतिरिक्त किशु देवी के अतिरिक्त किशु देवी के अतिरिक्त किशु देवी के अतिरिक्त

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 28-05-2016 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

म
(बलवन्तसिंह लिग्री)
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.कलक्टर,कोटकासिम
कैम्प कोर्ट.....23.9.16.....

वाद के खर्चे